बिहार सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

सं0सं0–2/एम0एम0 (बा0)–09/14–........................./एम0, पटना, दिनांक–...................................

प्रेषक,

E-mail/Fax/
Whats-app

सुशील कुमार,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता

विषयः– लघु खनिज बालू का विक्रय मूल्य निर्धारण करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में निदेशानुसार कहना है कि बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के नियम– 48(1) में वर्णित प्रावधानानुसार लघु खनिज बालू का विक्रय मूल्य (Pit head पर) का निर्धारण संबंधित जिला के समाहर्त्ता द्वारा किया जाना है।

उल्लेखनीय है कि बालू बिक्री दर के निर्धारण पर माननीय उच्च न्यायालय में दायर CWJC No.- 9908/2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27.10.2016 को पारित आदेश में नई बालू नीति (अधिसूचना संख्या–2214/एम0, दिनांक 27.08.2013) के बालू बिक्री दर निर्धारण से संबंधित उपरी सीमा को निरस्त किया गया है अर्थात निर्धारित प्रक्रिया के तहत गणना उपरांत अगर बालू विक्रय मूल्य गत वर्ष की बिक्री दर से 10 प्रतिशत से अधिक होगा तो उस पर विचार किया जाना है, न कि अधिसूचना में वर्णित प्रावधानों के तहत बिक्री दर को गत वर्ष की विक्रय मूल्य से 10 प्रतिशत अधिक तक सीमित रखना है। इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचना में बालू बिक्री दर से संबंधित पूर्ण प्रावधान नहीं बल्कि बिक्री दर के उपरी सीमा को मात्र रद्द किया गया है।

उक्त के आलोक में बिहार राज्यान्तर्गत सभी जिलों में प्रतिवर्ष लघु खनिज बालू का अद्यतन विक्रय मूल्य (Pit head) निर्धारित किया जाना है तथा यह भी सुनिश्चित किया जाना है कि स्थानीय मांगों की भी शत प्रतिशत पूर्ति हो। इसलिए Pit head पर निर्धारित दर के अतिरिक्त जिला के ट्रान्सपोर्टरों से भी बैठक कर बालू का बाजार दर निर्धारित करने की कृपा की जाय, ताकि आम जनता को सुगमतापूर्वक बालू उपलब्ध हो सके।

अतः अनुरोध है कि उक्त के आलोक में अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करने की कृपा की जाय तथा कृत कार्रवाई प्रतिवेदन से विभाग को अवगत कराया जाय।

विश्वासभाजन
ह0/–
सरकार के अवर सचिव

कृ0पृ0उ0

D/sanjay/Alokji/Sand Draft

ज्ञापांकः—........2158........................../एम0, पटना, दिनांक ...18.5.18.............

प्रतिलिपिः—सभी उप निदेशक/सभी सहायक निदेशक/सभी खनिज विकास पदाधिकारी/सभी खान निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/5/18

सरकार के अवर सचिव

D/sanjay/Alokji/Sand Draft